भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2379

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

एमएसएमई को लंबित राजसहायता

†2379. **श्री बी. मणिक्कम टैगोरः**
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दस वर्षों से अधिक समय से कन्याकुमारी और विरुधुनगर जैसे जिलों सहित तमिलनाडु में लाभार्थियों को दी जाने वाली एमएसएमई राजसहायता लंबित होने के क्या कारण हैं और इस लंबित राशि के भुगतान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सम्पूर्ण तमिलनाडु में एमएसएमई राजसहायता के संवितरण में विलंब के लिए क्या विशिष्ट कारण बताए गए हैं और लंबित राजसहायता का जिलावार ब्यौरा क्या है और उन्हें किस-किस वर्ष आवंटित किया गया है;

(ग) क्या तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एमएसएमई राजसहायता के वितरण में अत्यधिक विलंब हो रहा है और यदि हां, तो विशेषकर कन्याकुमारी और विरुधुनगर जैसे जिलों में इस मामले का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) कन्याकुमारी और विरुधुनगर सहित तमिलनाडु में एमएसएमई राजसहायता के पूर्ण रूप से भुगतान की समय-सीमा क्या है और इस विलंब के कारण लाभार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ): एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थी विभिन्न भौगोलिक और जनसांख्यिकीय मानदंडों के आधार पर 15% से 35% तक मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

इस स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर 13,554.42 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। पूरे भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा उत्पन्न मांग और स्वीकृत ऋणों के आधार पर निधियों का उपयोग किया जाता है। बैंक तकनीकी और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी देते हैं। तदनुसार, स्कीम के लिए आवंटित धनराशि के आधार पर स्वीकृत आवेदनों को एमएम सब्सिडी संवितरित की जाती है।

तथापि, चूंकि स्कीम ने 15वें वित्त चक्र के विगत 3 वित्तीय वर्षों, अर्थात वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को पार कर लिया है, इसलिए वित्तीय वर्षों अर्थात वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय घाटा है। स्कीम के लिए बजटीय परिव्यय में वृद्धि की मांग करते हुए व्यय विभाग से संपर्क किया गया है। जैसे ही बढ़ा हुआ बजट प्राप्त होगा, मंत्रालय लंबित एमएम सब्सिडी दावों को निपटाने की स्थिति में होगा।

*****